न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—101/18 (2018/00212) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अनुराधा पुत्री छीतरमल जोशी पत्नि महेश कुमार छीपा निवासी रायपुर हाल निवास 10 अ, पटेल परमांनन्द की चाली रखियाल अहमदाबाद

2—ज्योतिप्रभा पुत्री छीतरमल जोशी पत्नि महेश मरकटा निवासी रायपुर हाल निवास मकान नम्बर 23, वार्ड संख्या 1 तारापुर तहसील जावर उम्मेदपुरा नीमच

3—चेतनआनन्द आत्मज छीतरमल जोशी नि. रायपुर हाल नि. यू.आई.टी. के पास भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—आशादेवी पत्नि नरेन्द्रसिंह कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—छीतरमल आत्मज लक्ष्मीलाल जोशी निवासी रायपुर हाल निवास सोमनाथ चौराया, बालाजी नगर, मकान नम्बर 41ए कांकरोली जिला राजसमंद

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः—22.09.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है और वे हिन्दु विधि से शरशित होते है। इस संयुक्त हिन्दु परिवार के मूल पुरूष लक्ष्मीलालजी थे उनके एक पुत्र छीतरमल व 2 पुत्रीयां दुर्गा व मधु व पत्नि रोड़ी हुए जिनमें से पुत्रीया दुर्गा व मधु शादी शुदा होकर अपने ससुराल में आबाद है और यहां पर रह रही है। रोड़ी बाई फोत हो चुकी है। तथा दुर्गा व मधु ने इस हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पतियो से हिस्सा लेने से इन्कार करते हुए सम्पूर्ण भूमियां उनके भाई विपक्षी संख्या 2 छीतरमल को दे दी है। ग्राम रायपुर में प्रार्थीगण के दादा लक्ष्मीलाल व उनके भाई मोहनलाल आत्मज श्रीराम जोशी के नाम साबिक खाता संख्या 673 में अकिंत आराजी संख्या 969 रकबा 13 बिस्वा, 970 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 971 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 973 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 974 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बिघा 13 बिस्वा भूमि स्थित थी। उक्त भूमि में प्रार्थीगण के दादा लक्ष्मीलाल का 1/2 हिस्सा व मोहनलाल का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित साबिक आराजियात के दौराने सेटलमेन्ट नवीन नम्बर 4002 रकबा 0.77 है0, 4003 रकबा 0.42 है0, 4004 रकबा 0.35 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.44 है0 कायम किये गये। प्रार्थीगण के दादा की मृत्यु होने पर उक्त वर्णित भूमियां प्रार्थीगण की भुवा दुर्गादेवी व मधुदेवी की सहमति से प्रार्थीगण के पिता छीतरमल के नाम पर नामान्तरणकरण संख्या 2544 दिनांक 16.12.2000 को दर्ज कर फैसल किया गया। तथा रोड़ी बाई की मृत्यु हो जाने से नामान्तरणकरण संख्या 2596 दिनांक 20.08.02 को विपक्षी संख्या 2 के नाम विरासतन [illegible] नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:54:32 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित भूमियो में विपक्षी संख्या 2 जो प्रार्थीगण के पिता है के नाम पर 1/2 हिस्से में दर्ज हुई जिसमें प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण कृषि भूमियो में 1/8, 1/8 हिस्सा निहित है। उक्त भूमिया प्रार्थीगण के दादा के समय से चली आ रही है। जिसमे प्रार्थीगण का हक हिस्सा होते हुए भी प्रार्थीगण को सदैव उपक्षित करता रहा है। प्रार्थीगण की देखभाल परवरिश शादिया आदि भी प्रार्थीगण की माता ने की है। प्रार्थीगण को उनके हिस्से से महरूम किया जा रहा है। प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्से की भूमि से महरूम करने की गरज से दिनांक 12.09.02 को बिना किसी विधिक आवश्यकता के और बिना प्रार्थीगण की जानकारी के और उनके नाम भूमियां तन्हा दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में उससे साठगाठं कर हम प्रार्थीगण के हिस्से को भी विक्रय करते हुए विक्रय पत्र निष्पादित करवा उसका पंजीयन करवा दिया जो प्रार्थीगण के मुकाबले शुरू से ही नल एण्ड वोईड है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मुल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर तीन में अकिंत आराजियात संख्या 4002, 4003, 4004, कुल किता 3 कुल रकबा 1.44 है0 जोकि ग्राम सुरजपुरा तहसील रायपुर को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस सा अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे तथा प्रार्थीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दंखलदांजी नही करे तथा प्रार्थीगण को उनके जायज हक व हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल नही करे, न अन्य से करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता फारूख मोहम्मद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य नही है। प्रार्थी संख्या 3 जो अपने पिता के साथ सकुनत तर्क करने के समय से ही ग्राम कांकरोली में निवास कर रहा है। प्रार्थीगण ने गलत सजरा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के दादा के समय से ही उक्त पुस्तैनी आराजियात का विभाजन उन्होने अपने पुत्र छीतरमल को कर दिया था जिसके नाम उनकी विरासत का नामान्तरण फैसल किया गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को है। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने ससुराल निवास कर रही है एवं प्रार्थी संख्या 3 अपने पिता के साथ कांकरोली निवास कर रहा है। सन् 2005 में नोटिफिकेशन जारी होने से पूर्व पुत्र पुत्रीयो का कोई हक अधिकार नही बनता है। प्रार्थीगण के पिता अभी जिवित होकर साथ में निवास कर रहा है। अपने पिता की सिखावट से ही उक्त भूमियो में हिस्सा लेने का वाद पेश किया है। उक्त भूमिया व रिहायसी मकान विक्रय करके गया तब से उक्त भूमि प्रतिवादीया के अधिकार आधिपत्य में है विपक्षीया संख्या 1 उक्त भूमि पर काफी रूपये व श्रम लगाकर उपजाउ बनाया एवं चारदीवारी कर लोहे की फाटक लगा रखी है। विक्रय की जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से ही थी। विपक्षीया के नाम नामान्तरण राजस्व एजेन्सी ने पूर्ण रूप से जांच कर फैसल किया है तथा उसे बतौर खातेदार मालिक बनाया वर्तमान में भूमि जो विपक्षीया की खरीद शुदा है विपक्षीया खातेदार है इसलिए एक खातेदार को अपनी भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है विपक्षीया ने प्रार्थीगण के पिता छितरमल को पूर्ण से [illegible] अदाकर भूमियां कय

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:54:32 IST
Reason: SelfAttested

की है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 छीतरमल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 04.09.2002 को विपक्षीया संख्या 1 आशादेवी से जायज प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर दी एवं कब्जा सिपूर्द कर दिया तब से ही विपक्षीया उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। प्रार्थीगण जो विपक्षी संख्या 2 की संतान है अपने पिता छीतरमल की सलाह एवं उसकी जानकारी से यह वाद एवं प्रार्थना पत्र सभी की दुरभी संधी से विपक्षीया के विरूद्व प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के पिता जिसने अपनी जायज जरूरत एवं रूपयो की पूर्ति हेतु भूमि एवं रिहायसी मकान, एवं एक नोहरा विक्रय किये है इसकी जानकारी भी प्रार्थीगण एवं उनकी माता को शुरू से ही थी। प्रार्थीगण का विक्रयपत्र निष्पादित होने के बाद कोई कब्जा नही रहा है केवल मात्र विपक्षीया को जलील व परेशान करने की नियत से और रूपये ऐंठने की गरज से अपने पिता के साथ मिलकर यह बलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारीज योग्य है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रकरण में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। और विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवदेन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रार्थी व विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस पर अध्ययन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि प्रार्थीगणो की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का 1/2 हिस्सा निहित है जिसमें प्रार्थीगणो का 3/8 एवं विपक्षी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा बनता है जबकि विपक्षी द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा विक्रय किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 बहक प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षी संख्या 1 के इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के निस्तारण तक ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर के बैरून हल्के आबादी में आराजी संख्या 4002, 4003, 4004 कुल किता 3 कुल रकबा 1.44 है0 भूमि के रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-9-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:54:32 IST
Reason: SelfAttested